न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,न्यायालय संख्या–१, फैजाबाद।

सत्र परीक्षण संख्या–५९ सन् २०१९

राज्य प्रति मुन्ना लाल यादव एवं अन्य

.....

दिनांक–२०.०९.२०१९ पत्रावली आदेशार्थ नियत है।

प्रार्थनापत्र ८ब अन्तर्गत धारा २२७ दं० प्र० सं० पर आदेश

प्रार्थनापत्र ८ब धारा २२७ दं०प्र०सं० के अन्तर्गत अभियुक्तगण मुन्ना लाल यादव, फागू यादव एवं नौमी यादव की ओर से धारा ३०७ भा०दं०सं० के अपराध से उन्मोचित करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रार्थनापत्र पर मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुन लिया है। पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इन्द्रावती पत्नी लच्छी राम के द्वारा दिए गए लिखित तहरीर के आधार पर थाना महराजगंज,जिला फैजाबाद में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा ५०४,३०७ भा०दं०सं० के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक २०.१२.२०१८ को एक बजकर पच्चीस मिनट पर अंकित हुई। विवेचक द्वारा मामले की विवेचना करने के उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा ५०४,३०७,५०६,३२३ भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोपपत्र प्रेषित किया गया। मामला सत्र सुपुर्द हुआ। पत्रावली आरोप हेतु नियत हुई। अभियुक्तगण की ओर से प्रार्थनापत्र ८ब प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्तगण की तरफ से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि घटना दिनांक १९.१२.२०१८ की रात लगभग ८ बजे की है। चोटहिल लल्लू निषाद को पी.एच.सी. मया बाजार में परीक्षित करके जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया और वहां से के.जी.एम.सी. लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया जहांपर चोटहिल दिनांक २१.१२.२०१८ को ७.३० बजे प्रातः भर्ती हुआ और पुनः उसी दिन डिस्चार्ज हो गया क्योंकि चोटहिल के शरीर पर आई हुई चोटें प्राणघातक नहीं थी। दिनांक २१.१२.२०१८ का अपरान्ह ४ बजे चोटहिल फैजाबाद जिला अस्पताल में भर्ती हुआ और दिनांक २२.१२.२०१८ को वहां उसे स्वस्थ पाते हुए डिस्चार्ज कर दिया गया। अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र पर न्यायालय द्वारा चोटहिल के चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट पर विवेचना करते हुए अभियुक्त की जमानत स्वीकार की गई। विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान धारा ३०७ भा०दं०सं० का अपराध न पाते हुए धारा ३२३,५०४,५०६ भा०दं०सं० के अन्तर्गत रिमाण्ड चाहा गया लेकिन अवर न्यायालय द्वारा धारा ३०७ भा०दं०सं० में भी रिमाण्ड प्रदान किया गया। चिकित्सीय प्रपत्रों तथा विवेचक द्वारा की गई कार्यवाही के आधार पर धारा ३०७ भा०दं०सं० का अपराध नहीं बनता।

राज्य की ओर से प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कहा गया कि चोटहिल के सिर में चोट आई थी,वह घटनास्थल पर बेहोश हो गया था। उसके सिर से खून बह रहा था,वह अस्पताल में भर्ती हुआ,चिकित्सक की रिपोर्ट के अनुसार चोटहिल के सिर में हेमोटोमा पाया गया जो जीवन के लिए घातक हो सकता था और उस चोट से चोटहिल की मृत्यु हो सकती थी। अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा ३०७ भा०दं०सं० का आरोप विरचित करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है और अभियुक्तगण का प्रार्थनापत्र खारिज होने योग्य है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक १९.१२.२०१८ को शाम लगभग ८ बजे अभियुक्तगण पुरानी रंजिश को लेकर रीतू,सरिता व संगीता जो प्रथम सूचक के जेठ लल्लू निषाद की लड़कियां हैं,को लाठी डण्डों से मारने–पीटने लगे। अवसर पाकर संगीता घर जाकर बताई तो लल्लू निषाद, उसकी मां राधिका तथा और लोग पहुंचे तो लल्लू निषाद व राधिका को जान से मारने की नियत से प्राणघातक हमला करके अभियुक्तगण बेरहमी से मारने पीटने लगे जिससे लल्लू निषाद के सिर में काफी चोट आने से वे बेहोश हो गए तथा अन्य लोगों को भी चोटें आई। चोटहिलों का चिकित्सीय परीक्षण हुआ। अभियोजन कथानक के अनुसार चोटहिल लल्लू निषाद को प्रथमतः मया बाजार ले जाया गया जहां उसका चिकित्सीय परीक्षण हुआ उसके सिर में चोट आई थी,चोटहिल को जिला चिकित्सालय फैजाबाद रेफर कर दिया गया। जिला चिकित्सालय फैजाबाद से चोटहिल को के.जी.एम.यू. लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया जहां उसका सी.टी.स्कैन हुआ। धारा १६१ दं०प्र०सं० के बयान में विवेचक द्वारा चोटहिल तथा घटनास्थल पर उपस्थित अन्य साक्षियों का बयान अंकित किया गया जिसके अनुसार चोटहिल लल्लू निषाद के सिर में चोट आई थी, वह लहूलुहान होकर गिर गया था और बेहोश हो गया था,उसके सिर से काफी खून बह रहा था। लल्लू निषाद के धारा १६१ दं०प्र०सं० के अन्तर्गत अंकित किए गए बयान के अनुसार भी घटना वाले दिन अभियुक्तगण जान से मारने की नियत से उसे तथा उसकी पत्नी को बेरहमी से मारे। अभियुक्तगण के मारने से उसके सिर में चोट आई, वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया, उसके सिर में गहरी चोट लगी थी। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट में भी चोटहिल लल्लू निषाद के सिर में चोट आना अंकित है तथा हेमोटोमा भी पाया गया। विवेचक द्वारा चिकित्सीय परीक्षण करने वाले चिकित्सक का बयान अंकित किया गया जो यह कथन किया है कि चोटहिल लल्लू निषाद के सिर में गुल्थी पड़ गई थी जिसे हेमेटोमा कहा जाता है। ऐसी स्थिति में ब्रेन हैमरेज की भी संभावना रहती है। चिकित्सक के बयान में यह भी तथ्य आया है कि इस प्रकार की चोट से मृत्यु होने की संभावना रहती है।

भा०दं०सं० की धारा २२७ के अनुसार–

''यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ दी गई दस्तावेजों पर विचार कर लेने पर, और इस निमित्त अभियुक्त और अभियोजन के निवेदन की सुनवाई कर लेने के पश्चात् न्यायाधीश यह समझता है कि अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा।''

इस प्रकार उक्त प्राविधान के अनुसार यदि अभिलेख एवं दस्तावेजों पर विचार करने के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही करने का पर्याप्त आधार नहीं है तब न्यायालय अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने का कारण भी लेखबद्ध करेगा। वहीं धारा २२८ दं०प्र०सं० के अनुसार यदि अभियोजन तथा अभियुक्त को सुनने के पश्चात् न्यायाधीश की यह राय है कि ऐसी उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया तब अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित करेगा। इस प्रकार धारा २२८ दं०प्र०सं० के अनुसार आरोप विरचित करने हेतु आधार लिखा जाना आवश्यक नहीं है।

आरोप विरचित करने के लिए न्यायालय को विवेचक द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों,पुलिस रिपोर्ट पर विचार करना चाहिए। पुलिस रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रलेख पर अभियुक्त को नहीं सुना जा सकता। जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत पारिख प्रति सी.बी.आई. २००८ क्रि.जा.ज. ३५४०(एस.सी.) तथा अन्य मामलों में अभिमत व्यक्त किया गया है। स्टेट प्रति जे.दोराई स्वामी ए.आई.आर.२०१९ सुप्रीम कोर्ट १५१८ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि आरोप गठित करते समय न्यायालय को उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए सामग्री पर विचार करना चाहिए कि क्या उपलब्ध सामग्री के आधार पर अपराध गठित होता है या नहीं। साक्षियों के बयान में विरोधाभाष या उनकी पर्याप्तता या सत्यता पर विचार नहीं किया जा सकता। अहमदुल्ला प्रति स्टेट आफ यू०पी० २०१४ (८४)ए.सी.सी.१२ इलाहाबाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि आरोप के स्तर पर साक्षियों के बयान में भिन्नता को विचार में नहीं लिया जा सकता। बिहारी लाल प्रति स्टेट आफ राजस्थान ए.आई.आर. २०१९ सुप्रीम कोर्ट १९९५ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि अभियुक्त को इस आधार पर उन्मोचित नहीं किया जा सकता कि चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट में असंगतता है। चिकित्सीय परीक्षण के संदर्भ में होने वाली असंगतता के बारे में अभियोजन पक्ष द्वारा चिकित्सक को परीक्षित कराते समय उठाया जा सकता है। दिनेश तिवारी प्रति स्टेट आफ यू०पी० २०१४ (८६)ए.सी.सी. ८७२ सुप्रीम कोर्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि संदेह (Suspicion)होने के बावजूद भी अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किया जा सकता है यदि ऐसी उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों, उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए अभिमत के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इस मामले में यह उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्तगण के द्वारा धारा ३०७ भा०दं०सं० के अन्तर्गत अपराध कारित किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्तगण द्वारा धारा ३२३,५०४,५०६ भा०दं०सं० का भी अपराध कारित किया गया है। अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत किया गया प्रार्थनापत्र ८ब उपरोक्त विवेचना के

आधार पर स्वीकार होने योग्य नहीं है और अभियुक्तगण धारा ३०७ भा०दं०सं० के आरोप से उन्मोचित किए जाने योग्य नहीं हैं।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र ८ब खारिज किया जाता है। पत्रावली दिनांक २४.०९.२०१९ को आरोप हेतु पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश,न्यायालय सं०–१,
फैजाबाद।